संदर्भः सं. आईआरडीएआई/बीआरके/ओआरडी/विविध/165/06/2021

दिनांकः 04-08-2021

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42ई के साथ पठित
आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 12(1) के अधीन
मेसर्स डीलमनी इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के मामले में
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का आदेश

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इस आदेश में इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में उल्लिखित) को आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 (इस आदेश में इसके बाद "विनियम" के रूप में उल्लिखित) के विनियम 5 के अनुसार एक प्रत्यक्ष बीमा दलाल के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान करने की अपेक्षा करते हुए मेसर्स डीलमनी इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लि. जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लाट सं. ए356/357, रोड सं. 26, वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट, एमआईडीसी, थाने पश्चिम, थाने-400604 में है (इस आदेश में इसके बाद "आवेदक" के रूप में उल्लिखित) से एक आवेदन संदर्भ यूआरएन सं. बीआर-न्यू-2233-2018 दिनांक 22 जून 2018 के द्वारा प्राप्त हुआ।

2. उक्त आवेदन फार्म और उसके अनुलग्नकों की जाँच करने के बाद प्राधिकरण ने उक्त विनियमों के विनियम 7(1) के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार आवेदक को आगे उसके आवेदन का प्रसंस्करण करने के लिए पत्र संदर्भ सं. आईआरडीए/डीबी 742/02/18 दिनांक 25 जुलाई 2018 और पत्र आईआरडीए/डीबी 742/03/18 दिनांक 28 अगस्त 2018 के द्वारा स्पष्टीकरण/दस्तावेज/सूचना प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया। आवेदक ने दिनांक 9 अगस्त 2018 और 4 अक्तूबर 2018 के अपने पत्रों के द्वारा प्राधिकरण के उपर्युक्त पत्रों का उत्तर दिया और आवश्यक सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत किये जिन्हें अभिलेखबद्ध किया गया। उक्त विनियमों के विनियम 7(3) में विनिर्दिष्ट किये अनुसार, प्राधिकरण ने पत्र संदर्भ सं. आईआरडीए/डीबी 742/04/18 दिनांक 6 दिसंबर 2018 के द्वारा आवेदक को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 13 दिसंबर 2018 को 15.30 बजे एक प्रस्तुतीकरण करने के लिए सूचित किया। आवेदक ने विनिर्दिष्ट दिनांक को प्रस्तुतीकरण किया। आवेदक की ओर से श्री विक्रम राठोड, निदेशक और प्रधान अधिकारी, श्री दिशांत सगवारिया, निदेशक, श्री पांडू प्रभाकर नाईग, निदेशक, श्रीमती सेलीन डीसूजा, प्रमुख जीवन बीमा और श्री भगवान कृष्ण श्रीवास्तव, प्रमुख साधारण बीमा उक्त प्रस्तुतीकरण में उपस्थित थे। प्राधिकरण की ओर से श्री सुजय बनर्जी, सदस्य (वितरण), श्री के. श्रीनिवास, सहायक महाप्रबंधक, और श्री इन्द्रदीप साह, सहायक प्रबंधक उक्त प्रस्तुतीकरण में उपस्थित थे।

3. आवेदन की जाँच करते समय यह पाया गया कि आवेदक की सहयोगी कंपनी मेसर्स डीलमनी सेक्यूरिटीज़ प्राइवेट लि. (इस आदेश में इसके बाद "कारपोरेट एजेंट" के रूप में उल्लिखित) जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लाट सं. ए356/357, रोड नं. 26, वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट, एमआईडीसी, थाने पश्चिम, थाने-400 604 है, को प्राधिकरण के पास एक कारपोरेट एजेंट के रूप में पंजीकरण संख्या सीए0081 के साथ पंजीकृत किया गया था। प्राधिकरण को उक्त कारपोरेट एजेंट के विरुद्ध शिकायतें

प्राप्त हुई थीं और उनके आधार पर प्राधिकरण ने 23 अगस्त 2018 से 27 अगस्त 2018 तक उक्त कारपोरेट एजेंट का एक संकेन्द्रित आनसाइट निरीक्षण संचालित किया।

4. उक्त निरीक्षण के बाद, प्राधिकरण ने उक्त कारपोरेट एजेंट को चेतावनी देते हुए और उनके विरुद्थ बनाये गये आरोपों पर निदेश देते हुए एक आदेश संदर्भ सं. आईआरडीए/ ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/239/12/2019 दिनांक 31 दिसंबर 2019 जारी किया।

5. 24 दिसंबर 2019 को समाचारपत्र टाइम्स आफ इंडिया में यह सूचित करते हुए एक समाचार आलेख प्रकाशित हुआ कि विधान नगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, कोलकाता ने सुगम पार्क, साल्ट लेक, सेक्टर V, कोलकाता में स्थित कारपोरेट एजेंट के कार्यालय पर छापा मारा था। उस समाचार आलेख में सूचित किया गया कि उक्त कारपोरेट एजेंट के विरुद्ध पुलिस को कोलकाता, त्रिपुरा, ओडिशा और उत्तर-पूर्व के अन्य राज्यों से कदाचार और धोखाधड़ी की कई शिकायतें मिली थीं तथा 1000 से अधिक व्यक्ति इसका शिकार हुए थे। उक्त आलेख के अनुसार जनता को धोखा देने के लिए उक्त कारपोरेट एजेंट के द्वारा विभिन्न प्रकार की कार्यप्रणालियाँ अपनाई गई थीं जिनमें कारपोरेट एजेंट के कर्मचारी के द्वारा निम्नानुसार टेलीफोन काल करना शामिल थाः

i. आईआरडीएआई के अधिकारी होने का दावा करते हुए लोगों को काल करना और एक विवादग्रस्त बीमा बांड का निपटान करने का प्रस्ताव करना,
ii. अधिकारियों के रूप में काल करना जो न्यूनतम दस्तावेजों के आधार पर आसान वैयक्तिक ऋणों की व्यवस्था करेंगे,
iii. कारपोरेट एजेंट के काल सेंटर के कर्मचारी के रूप में ऐसे लोगों को काल करना जिन्होंने बीमा के लिए प्रीमियम अदा करना बंद किया था,
iv. बीमा की धनराशि ब्याज सहित प्राप्त करना तथा उनसे पुनः उनके पास एक छोटा निवेश करने के लिए कहना।
उक्त आलेख ने सूचित किया कि पुलिस ने श्री अभिजीत डे, कारपोरेट एजेंट के निदेशक और श्री प्रदीप कुमार राय को गिरफ्तार किया है तथा यह मामला विधान नगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, कोलकाता की जाँच के अधीन है। उक्त समाचार के आलेख में सूचित किये गये आरोप गंभीर स्वरूप के हैं और जैसा कि इस आदेश के पैरा 3 में निर्दिष्ट किया गया है, प्राधिकरण ने भी उक्त कारपोरेट एजेंट के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त की थीं। उपर्युक्त पैराग्राफों से उक्त कारपोरेट एजेंट का आचरण सुस्पष्ट रूप से उपयुक्त नहीं पाया गया है तथा वह बीमा पालिसियों के पालिसीधारकों / संभावित ग्राहकों के हित में नहीं है।

6. यह पाया गया है कि श्री पांडू प्रभाकर नाईग और श्री अभिजीत डे आवेदक और उक्त कारपोरेट एजेंट के सामान्य निदेशक हैं।

7. उक्त विनियमों के विनियम 8(2)(ण) के अनुसार, प्राधिकरण एक बीमा दलाल के पंजीकरण के लिए आवेदन पर विचार करते हुए, इस बात का ध्यान रखेगा कि क्या पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना पालिसीधारकों के हित में होगा अथवा नहीं। अतः ऊपर उल्लिखित कारपोरेट एजेंट, जो आवेदक की

एक सहयोगी कंपनी है और आवेदक कंपनी के साथ जिसके सामान्य निदेशक हैं, के आचरण पर विचार करते हुए यह पाया गया कि आवेदक उक्त विनियमों के विनियम 8(2)(ण) का अनुपालन नहीं कर रहा है।

8. उक्त विनियमों के विनियम 7(5) के अनुसार, आवेदक स्वयं तत्काल प्राधिकरण की जानकारी में ऐसी अतिरिक्त सूचना अथवा स्पष्टीकरण लाएगा, जिसका संबंध उनके आवेदन पर विचार करने से हो सकता है। आवेदक ने अपनी उस सहयोगी संस्था के कार्यालय पर पुलिस के छापे और उसके विरुद्ध दर्ज किये गये मामले की सूचना का प्रकटीकरण कभी नहीं किया है जिसकी सहयोगी संस्था के पास उसके सामान्य निदेशक हैं। यह सूचना आवेदन पर विचार करने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका संबंध पालिसीधारकों/ संभावित ग्राहकों के साथ विनियमित संस्था के आचरण से है, जिसका बीमा वितरण व्यवसाय में प्रमुख महत्व है। तत्काल स्वयं यह महत्वपूर्ण सूचना का प्रकटीकरण न करते हुए आवेदक ने उक्त विनियमों के विनियम 7(5) का उल्लंघन किया है।

9. उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर उक्त विनियमों के विनियम 12(1) में यथाविनिर्दिष्ट रूप में पत्र संदर्भ सं. आईआरडीए/डीबी 742/08/18 दिनांक 7 जुलाई 2020 (इस आदेश में इसके बाद एससीएन के रूप मे उल्लिखित) के अनुसार प्राधिकरण के द्वारा आवेदक को उनका स्पष्टीकरण माँगते हुए कारण बताओ निटिस जारी किया गया कि एक प्रत्यक्ष दलाल के रूप में पंजीकरण की अपेक्षा करते हुए प्रस्तुत उनके आवेदन को क्यों नहीं अस्वीकृत किया जाएगा। उक्त एससीएन में यह उल्लेख किया गया कि उनका उत्तर प्राधिकरण के पास 21 दिन के अंदर पहुँचना चाहिए। उक्त एससीएन में यह भी उल्लेख किया गया कि यदि आवेदक वैयक्तिक सुनवाई के अवसर का उपयोग करना चाहता है, तो वे अपने उत्तर में यह निर्दिष्ट करें। यहाँ पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि उक्त एससीएन प्राधिकरण द्वारा ई-मेल, स्पीड पोस्ट और व्यवसाय विश्लेषण-विज्ञन पोर्टल (इस आदेश में "बीएपी पोर्टल" के रूप में उल्लेख किया जाएगा) के माध्यम से भेजा गया, जिसमें आवेदक ने उक्त विनियमों के अधीन प्रत्यक्ष बीमा दलाल के पंजीकरण प्रमाणपत्र की अपेक्षा करते हुए एक आवेदन आनलाइन फाइल किया है।

10. आवेदक ने 21 दिन के समय के अंदर प्राधिकरण के एससीएन का उत्तर नहीं दिया है। आवेदक को एससीएन का उत्तर देने के लिए बीएपी पोर्टल में 17 जुलाई 2020 और 29 जुलाई 2020 को अनुस्मारक भेजे गये। उक्त अनुस्मारकों के बावजूद, आवेदक ने अपना उत्तर 21 दिन के अंदर प्रस्तुत नहीं किया है एवं तदनुसार, यह अनुमान किया गया है कि उक्त एससीएन पर प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए आवेदक के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

11. तदनुसार, अभिलेखों में यथाउपलब्ध एवं उपर्युक्त पैराग्राफों में विस्तार से उल्लिखित उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण उक्त विनियमों के विनियम 12(1) के अंतर्गत अपने पास निहित शक्तियों के अनुसार मेसर्स डीलमनी इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फाइल किए गये आवेदन दिनांक 22 जून 2018 को इसके द्वारा अस्वीकार करता है।

12. यदि आवेदक इस आदेश से असंतुष्ट है, तो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 110 के अंतर्गत निर्धारित उपबंधों के अनुसार, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

(एस. एन. राजेश्वरी)
सदस्य (वितरण)